न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—64/2019/223 (2019/00064)

1. पोलू दत्तक पुत्र स्व0 रामनाथ, जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरू पुत्र घीसा,
2. जगदीश पुत्र मोती,
3. महावीर पुत्र मोती,
4. गोपाल पुत्र मोती,
5. सांवरा दत्तक पुत्र मेघा,
6. रतनी पुत्री नंदा,
7. हगामी पुत्री नंदा,

समस्त जाति खारोल, निवासी सूरजपुरा, तह0 सरवाड, जिला अजमेर ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 24.11.2017 अंतर्गत वाद संख्या 65/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 5.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188, 92— एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात गत खसरा नंबर 88 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 103 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सूरजपुरा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में अवस्थित है । राजस्व अभिलेख अनुसार विवादित आराजियात अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 की सहखातेदारी की आराजियात है । उपरोक्त आराजियात सांवरा पुत्र मेघा, भैरू पुत्र घीसा, मोती पुत्र रूघा, रोड़ी बेवा घीसा, भैरू, सांवरा पि0 घीसा 2/3 हिस्सा, नंदा पुत्र गिरधारी 1/9 हिस्सा, हगामी पुत्री नंदा 2/9 हिस्सा दर्ज है जिसमें मोती के स्थान पर वारिसान पोलू तथा रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 का नाम दर्ज है । इसी प्रकार खसरा

संख्या 27 रकबा 23 बीघा 1 बिस्वा, 28 रकबा 3 बिस्वा, 41 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 48 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 107 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा जमाबंदी अनुसार सावरा पुत्र मेघा, भैरू पुत्र घीसा, पोलू, जगदीश, महावीर, गोपाल पि0 मोती, भैरू व सावरा पि0 घीसा व नंदा पुत्र गिरधारी के खाते में दर्ज है। नंदा फौत हो जाने से हमाम व रतनी पुत्रियां नंदा का नाम दर्ज किया गया है । जबकि अपीलांट/वादी जाति रिवाज व धर्म अनुसार रामनाथ के गोद आ गया था एवं रामनाथ की सम्पति पर ही बतौर काबिज चला आ रहा है । उक्त अनुसार वादी खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से में आई भूमि का विभाजन करवाकर हिस्सा अलग करवाना चाहता है । अतः विभाजन की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किया जावे । उक्त वाद प्रस्तुत होने के उपरांत एक अन्य वाद रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7/प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त आराजियात व खसरा संख्या 80 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम प्रतापपुरा को सम्मिलित करते हुए पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात अविभाजित है जिसका विधिवत् बंटवारा किया जाना आवश्यक है । इसलिये वादवर्णित आरायिजात का विभाजन किया जाकर जमाबंदी जारी किए जाने की आज्ञाप्ति पारित करे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्रदान की जावे । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त वादों को समेकित करते हुए रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में जवाबदावा निहित होना वर्णित करते हुए चार तनकियात कायम की तथा प्रकरण को वास्ते साक्ष्य हेतु नियत किया गया । पत्रावली में पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना लोक अदालत शिविर रामपाली में प्रकरण को नियत कर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 को पारित की । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 24.11.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा पस्तुत वाद के पश्चात् रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है । उक्त वादपत्र को अपीलांट के वादपत्र के साथ समेकित किया जाकर अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्त पश्चात्वर्ती वाद में दावे का जवाब निहित होना वर्णित करते हुए तनकियात कायम की एवं इसके पश्चात् पत्रावली वास्ते शहादत हेतु नियत की गई है जिसमें बिना पक्षकारान की शहादत लिये पत्रावली को राजस्व कैम्प लोक अदालत ने रखकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.6.2016 से अपीलांट के वाद को निरस्त करते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये है इसके पश्चात् एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की जाकर प्रकरण में बिना पक्षकारान की सुनवाई के उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर पटवारी हल्का अजगरा द्वारा प्रेषित नक्शा कुरेजात व बंटवारा प्रस्ताव को आधार मानकर अंतिम डिक्री पारित की है जो प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को एकपक्षीय डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री बाबत् तहसीलदार

सरवाड को स्वंय मौके पर जाकर आवश्यक कुरेजात मंगाये जाने के आदेश दिए गए है इसके विपरीत दिनांक 3.7.2017 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक अजगरा द्वारा बनाए गए कुरेजात को दिनांक 2.8.2017 को प्रेषित किया गया है एवं उक्त कुरेजात के आधार पर आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत अंतिम डिक्री पारित की है । नियम 18 से 21 राजस्व मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरीत पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने कुरेजात रिपोर्ट में सड़क से लगती हुई भूमि रेस्पो0 की खातेदारी में रखकर अपीलांट को पीछे के हिस्से में भूमि दी है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद में अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । पटवारी हल्का ने उक्त कुरेजात रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की है तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । पटवारी हल्का द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट विधिअनुसार मान्य नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण प्राथमिक डिक्री के उपरांत वास्ते अंतिम डिक्री हेतु तहसीलदार को मौके पर जाकर नक्शे कुरेजात आदेश पारित किया जाकर लंबित रखी गई है उक्त अनुपालना में बिना पक्षकारान को नोटिस जारी किए बिना तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शा कुरेजात को विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2017 निरस्त की जावे तथा पत्रावली में पक्षकारान की शहादत ली जाकर विधिवत् रूप से सुनवाई कर निर्णय पारित किए जाने हेु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा प्रकरण को राजस्व अभियान के दौरान लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया है । निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नहीं दी गई। तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 24.11.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई । हाल ही में दिनांक 18.2.2019 को प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजियात जो कि रामनाथ के हिस्से की आराजियात रही है पर जबरन दखलदांजी करने पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पटवारी हल्का ने अधी0न्या0 द्वारा पारित निर्णय के संबंध में अवगत कराया जिस पर प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2018–19 सप्लीमेंट्री पेज 394 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा भी वाद पेश किया गया था जिसमें वे एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 4.6.2016 को वाद प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये थे जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से थी । तहसीलदार ने 18 से 21 की पालना कर बंटवारा के प्रस्ताव अधी0न्याया0 को भिजवाये है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है । यदि अपीलांट को अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति थी तो इन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश नहीं कर अपील न्यायालय में ऐतराज पेश किये है जो उचित नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0

ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2010 पेज 289, आर0आर0डी0 2002 पेज 26 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 द्वारा बंटवारे का वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.6.2016 को बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, सरवाड़ को कमिश्नर नियुक्त कर राजस्व मेन्युअल नियम 18 से 21 के अनुसरण में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बंटवार प्रस्ताव तैयार करवाने के निर्देश दिये । अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में तहसीलदार, सरवाड़ ने दिनांक 2.8.2017 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये है । उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार सरवाड़ के हस्ताक्षर है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार सरवाड़ द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये हो । तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व मेन्युअल के नियम 18 से 21 के अनुसरण में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार कराकर अधी0न्याया0 को भिजवाये है । अधी0न्याया0 ने उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है । यदि अपीलांट को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश करने चाहिये थे किन्तु अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई ऐतराज पेश नहीं किये गये है । अधी0न्याया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा वाद संख्या 65/2015 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.11.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 5.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर